मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना

मध्यप्रदेश सोसायटी फॉर रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन द्वारा क्रियान्वित मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (जिसे आगे परियोजना कहा जायेगा) में परियोजना सहायता दलों के रूप में कार्य करने के लिए गैर–शासकीय संस्थाओं (जिन्हें आगे संस्था कहा जायेगा) को अपनी विशेषता, अनुभव तथा संस्थागत शक्ति का उपयोग करते हुए परियोजना के ढांचे के भीतर कार्य करने की पूरी स्वायत्तता रहेगी। परियोजना संस्था को नवाचारी उपायों तथा विचारों को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए परियोजना को पृथक प्रस्ताव दिये जा सकते हैं।

1. **कार्य का संपादन एवं कार्य प्रणालीः** परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में सहयोग के लिए ग्राम संकुल स्तर पर परियोजना सहायता दलों का गठन किया जाएगा। परियोजना में ग्राम सभा स्तर पर आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों की पहचान, नियोजन तथा क्रियान्वयन से लेकर क्षमता निर्माण तथा संस्थागत सुदृढ़ता से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा लक्षित ग्रामों में शासन के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

2. परियोजना का मूल उद्देश्य चयनित ग्रामों में ग्रामसभा के माध्यम से संवहनीय आजीविका के अवसर विकसित करना है। इस मूल उद्देश्य को सतत् ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। परियोजना संचालन हेतु बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

3. संस्था द्वारा ग्रामसभा के माध्यम से कार्यों के संपादन में मदद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मानवीय मूल्यों की अवमानना न हो। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बच्चों के प्रति किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं रखा जाएगा तथा उनके हितों एवं भावनाओं को परियोजना क्रियान्वयन में सर्वोपरि रखा जाए। धर्म, सम्प्रदाय, जाति एवं लिंग के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया जाएगा। समाज के विभिन्न तबकों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हो, इसके लिए विशिष्ट प्रयास किये जाएंगे।

4. **परियोजना सहायता दलों की संरचनाः** परियोजना सहायता दल का गठन मोटे तौर पर तालिका–1 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय जिला परियोजना सहायता दल से चर्चा कर यह जानकारी ली जाएगी कि ग्राम समूह में कुल कितनी बसाहटें, अर्थात् टोले, फलिया आदि हैं, ताकि प्रत्येक बसाहट से सप्ताह में कम से कम एक बार संपर्क किया जा सके। दल में यथासंभव कम से कम एक महिला को रखा जाए। संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना सहायता दल परियोजना के लिए पूर्णकालिक तौर पर कार्य करें।

तालिका–1

संकुल में ग्राम संख्या	परियोजना सहायता दल समन्वयक संख्या	परियोजना सहायता दल सदस्य संख्या
≤ 5	1	2
6 – 9	1	3
> 9	1	4

5. **भर्तीः** परियोजना सहायता दल के सदस्यों को ग्राम सभा एवं जनता की संस्थाओं के साथ कार्य करना है, अतः यह अपेक्षा है कि संस्था परियोजना सहायता दल में सामाजिक कौशल वाले लोगों को रखे। संस्था कृषि/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, पशुपालन, वानिकी, आदि के क्षेत्रों से परियोजना के लिए सक्षम कर्मियों की भर्ती करेगी। यह अच्छा रहेगा कि संबंधित संस्था द्वारा परियोजना सहायता दलों के चयन की प्रक्रिया में परियोजना का एक प्रतिनिधि भी जुड़ा हो। इस बात की पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि परियोजना के लिए गठित परियोजना सहायता दलों में संस्था के वर्तमान अनुभवी अमले के कुछ सदस्य भी रहें।

6. संस्था द्वारा जिला परियोजना सहायता इकाई को परियोजना सहायता दल के सदस्यों/समन्वयक के फोटोयुक्त बायोडाटा प्रस्तुत करने होंगे। परियोजना सहायता दल के रूप में कार्य करने वाले अमले में बदलाव के पूर्व जिला परियोजना सहायता इकाई से परामर्श अपेक्षित है।

7. **परिवीक्षाः** परियोजना सहायता दल के रूप में चयनित संस्था को प्रारंभ में तीन माह की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

8. **प्रशासनिक पर्यवेक्षणः** परियोजना सहायता दल, जिला परियोजना सहायता इकाई के दैनंदिन पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। परियोजना सहायता दलों को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट व्यय विवरण सहित जिला परियोजना सहायता इकाई को प्रस्तुत करना होगी। यह रिपोर्ट परियोजना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियत दिनांक तक प्रस्तुत की जानी होगी। लगातार तीन माह तक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था की आगामी तिमाही की राशि रोकी जा सकेगी। परियोजना सहायता दल के रूप में कार्य करने वाली संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र में मासिक कार्ययोजना जिला परियोजना सहायता इकाई को प्रस्तुत करनी होगी।

9. परियोजना सहायता दल के समन्वयक/सदस्य को प्रत्येक पूर्ण माह में दो दिन अवकाश की पात्रता होगी। यदि दल का समन्वयक/सदस्य निर्धारित से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर जाता है तो परियोजना उसकी अवकाश अवधि की परिलब्धियां देने के लिए बाध्य नही होगी। यदि अवकाश पर गये किसी कर्मचारी के बदले संस्था द्वारा समान योग्यता के किसी अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है तो परियोजना द्वारा उसकी परिलब्धियां दी जाएंगी।

10. **स्थानः** परियोजना सहायता दल संकुल हेतु निर्धारित मुख्यालय पर रहेगा। मुख्यालय का निर्धारण परियोजना द्वारा संस्था से चर्चा कर किया जायेगा जो सामान्यतः संकुल के ग्रामों के किसी हाट बाज़ार में होगा। दल के सदस्य अथवा समन्वयक को सामान्यतः अन्यत्र स्थान पर रहते हुए कार्यक्षेत्र में आने–जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. **कार्यालयः** संकुल मुख्यालय पर परियोजना सहायता दल का कार्यालय होगा। कार्यालय के किराये एवं अन्य सामान्य कार्यालयीन व्यय के लिए तालिका–2 में दर्शाई सीमा तक भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

12. **आजीविका मित्रों का चयनः** प्रत्येक ग्राम में एक पुरुष और एक महिला आजीविका मित्र का चिन्हांकन ग्राम सभा द्वारा परियोजना द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर परियोजना सहायता दल के परामर्श से किया जाएगा। आजीविका मित्रों की क्षमता का निर्माण करने की जिम्मेदारी परियोजना सहायता दल की होगी। आजीविका मित्रों का उपयोग परियोजना सहायता दलों द्वारा ग्राम सभा की गतिविधियों को दिशा देने के लिए किया जाएगा। ग्राम

सभा द्वारा आजीविका मित्रों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जिसका निर्धारण और वित्तपोषण परियोजना द्वारा किया जाएगा।

13. **कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकनः** परियोजना सहायता दल के कार्य का मूल्यांकन समय–समय पर किया जायेगा। इस मूल्यांकन के लिये एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें ज़िला परियोजना सहायता इकाई तथा परियोजना प्रबंधन इकाई के सदस्य शामिल होंगे। परियोजना सहायता दल के कार्यों की बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र समीक्षा भी की जायेगी।

14. **धनराशि का प्रवाहः** परियोजना के लिये धनराशि का प्रवाह राज्य से ज़िला पंचायत को तथा ज़िला पंचायत से चयनित गॉवों के ग्राम कोष में होगा। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से ग्राम सभा को धनराशि सीधे हस्तांतरण भी किया जा सकता है। इसके अलावा क्षमता निर्माण तथा संस्था विकास से संबंधित गतिविधियों के लिये जिला परियोजना सहायता इकाई के पास धनराशि उपलब्ध रहेगी।

15. प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये संस्था को धनराशि ज़िला परियोजना सहायता दल द्वारा तिमाही आधार पर प्रदान की जायेगी, जिसका भुगतान पूर्व प्रदायित राशि के कम से कम 80 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संकुल के ग्रामों में तिमाही में कार्य की प्रगति को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके मापदण्ड परियोजना सहायता दलों के साथ पहले से निर्धारित होगें। गतिविधियॉ शुरू करने के लिये ज़िला परियोजना सहायता इकाई द्वारा प्रथम तिमाही में आनुपातिक आधार पर संस्था को अग्रिम राशि प्रदान कर दी जायेगी।

16. **व्ययः** परियोजना सहायता दल के रूप में कार्य करने वाली संस्था के सिर्फ प्रशासनिक व्ययों का भुगतान परियोजना द्वारा किया जायेगा। इसमें मैदान में वास्तविक रूप से कार्यरत परियोजना सहायता दलों को भुगतान किये जाने वाली परिलब्धियां (Emoluments) शामिल हैं। इन परिलब्धियों का भुगतान संस्था को किया जायेगा जो उनके द्वारा तैनात परियोजना सहायता दलों को भुगतान करेंगे। संस्था द्वारा परियोजना सहायता दलों को परिलब्धियों का भुगतान चेक के द्वारा ही किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति तालिका–2 में दर्शाई गई न्यूनतम व अधिकतम सीमा के अंतर्गत वास्तविक भुगतान के आधार पर होगी। परियोजना कार्यक्षेत्र के अलावा किसी भी अन्य कार्य में संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों पर किये जाने वाले व्यय को परियोजना द्वारा वहन नहीं किया जायेगा। कार्यालयीन व्यय की राशि परियोजना द्वारा तालिका–2 में दर्शाई गई सीमा के अंतर्गत दी जायेगी। किसी भी स्थायी निर्माण (कच्चा/पक्का) पर होने वाले खर्च को परियोजना द्वारा वहन नहीं किया जायेगा। संस्थागत शुल्क के रुप में संस्था को वित्तीय वर्ष के अंत में तालिका–2 में दर्शाये अनुसार आवर्ती प्रशासनिक व्यय के दस प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा।

17. सूचना, सम्प्रेषण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिये संबंधित परियोजना सहायता दल को रु.25,000/– की सीमा तक अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसका उपयोग अप्रत्याशित गतिविधियों के लिये किया जा सकेगा। जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा परियोजना सहायता दल के प्रस्ताव पर मात्र उन्हीं गतिविधियों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके लिये ग्राम कोष से राशि नहीं ली जा सकती। उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी आवश्यकता हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि से प्रस्तावित और निष्पादित गतिविधियों को ग्राम सभा के सूचना–पटल पर दर्शाया जायेगा और इसका

विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा, मांगे जाने पर लेखा की पुस्तकें/पंजियॉ ग्राम सभा में लाकर सदस्यों को दिखानी होंगी।

18. कैशबुक तथा अन्य लेखा पुस्तकों के संधारण का दायित्व परियोजना सहायता दल का होगा। इस राशि का लेखा जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा संधारित किया जायेगा। अग्रिम राशि से किये जाने वाले खर्च का विवरण परियोजना सहायता दल द्वारा जिला परियोजना सहायता इकाई को पृथक से दिया जायेगा।

19. ग्राम स्तरीय गतिविधियों और कार्यक्रमों का वित्तपोषण ग्राम कोष से किया जायेगा। यह व्यय ग्राम सभा द्वारा अधिकृत और ग्राम विकास समिति द्वारा संचालित होगा। इस प्रकार की गतिविधियों के चिन्हांकन, नियोजन और क्रियान्वयन में परियोजना सहायता दल सहयोग करेगा।

20. किसी अन्य परियोजना अथवा कार्यक्रम के खाते में गया कोई भी खर्च इस परियोजना के खाते से नहीं लिया जायेगा।

21. परियोजना सहायता दल के संकुल से बाहर नियमित यात्रा भत्ता सोसायटी के नियमों के अनुसार देय होगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार देय राशि की जानकारी **तालिका–3** में दर्शाई गई है।

22. यदि किसी आकस्मिक स्थिति में वाहन की आवश्यकता आती है तो जिला परियोजना समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संबंधित परियोजना सहायता दल को वाहन किराये पर लेने के लिये अधिकृत कर सकेगा।

23. सभी प्रकार के व्यय, चाहे वह ग्राम कोष के माध्यम से किये गये हों अथवा परियोजना सहायता दल द्वारा, उनका ऑडिट और परीक्षण राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा।

24. **व्यय का वर्गीकरणः** विभिन्न वितरण श्रेणियों के अंतर्गत होने वाले व्यय का वर्गीकरण किया गया है। इन श्रेणियों में मोटे तौर पर आने वाले मदों का विवरण इस प्रकार हैः –

    - ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित परियोजना गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि। समग्र अनुमोदित योजना धनराशि जारी करने के लिये जिला परियोजना सहायता इकाई को भेजी जायेगी। इसकी राशि ग्रामकोष में जमा कराई जाएगी। परियोजना सहायता दल द्वारा इसके उपयोग में ग्रामसभा को सहयोग दिया जायेगा। किन्तु इस राशि का आहरण ग्रामकोष से आहरण हेतु राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत होगा।

    - परियोजना सहायता दल हेतु उपकरण व सामग्री (सामुदायित निवेश को छोड़कर) का क्रय। इसका अनुमोदन सोसायटी के नियमों के अनुसार जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा किया जायेगा।

    - अन्य कोई व्यय। इसका अनुमोदन जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा किया जाएगा।

25. **परियोजना सहायता दल स्तर पर लेखा व्यवस्थाः** परियोजना सहायता दल स्तर पर लेखा कार्य उन परियोजना गतिविधियों के लिये किया जायेगा जिनका संचालन परियोजना सहायता दल द्वारा किया जाता है। उनका लेखा जिला परियोजना सहायता इकाई स्तर पर

ठेकेदारों के लेखा कार्य की तरह किया जायेगा। यद्यपि परियोजना सहायता दल लेखा केन्द्र नहीं है, तथापि उनके द्वारा किये गये व्यय हेतु वे लेखा संधारण का कार्य जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा निर्धारित फार्मेट में स्वयं करेंगे ताकि परियोजना राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। ये दल निम्न लेखा पुस्तकों का संधारण करेंगेः –

- कैशबुक
- परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गई अथवा परियोजना की धनराशि से परियोजना सहायता दल द्वारा खरीदी गई परिसम्पत्तियों तथा सामान का स्टॉक रजिस्टर
- बिलों/विभिन्न भुगतानों के प्रमाण स्वरूप सरल क्रमांक वार प्रमाणक–वाउचर।

26. परियोजना सहायता दल मासिक आधार पर व्यय का विवरण जिला परियोजना सहायता इकाई को प्रस्तुत करेंगे, ताकि व्यय की मानिटरिंग हो सके। जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा परियोजना सहायता दलों का हर तीन महीने में निरीक्षण किया जायेगा।

27. **ऑडिटः** संस्था विधिक रूप से आवश्यक लेखा जांच किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायेगी और इसकी रिपोर्ट परियोजना को प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि के खर्च के परीक्षण के लिये संस्था के व्यय का ऑडिट परियोजना द्वारा कराया जा सकेगा।

28. **परियोजना सहायता दलों द्वारा प्रतिवेदनः** परियोजना सहायता दल प्रतिमाह जिला परियोजना सहायता इकाई को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें निम्न बातों की जानकारी होगीः

    ➢ जिला परियोजना सहायता दल से प्राप्त राशि, विभिन्न मदों पर व्यय राशि तथा खाते में व नगद शेष राशि।

    ➢ किये जा रहे, पूर्ण किये गये और वे कार्य जो अगले माह तक पूर्ण किये जाना हैं का विवरण (गतिविधि, स्थान व लागत)।

29. परियोजना सहायता दल द्वारा ग्रामवार प्रतिवेदन की प्रतिलिपि ग्राम सभा को प्रस्तुत की जायेगी, जो ग्राम सभा/ग्राम विकास समिति के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी।

30. **ग्राम कोष का ग्राम स्तर पर लेखाः** परियोजना से ग्राम कोष में प्राप्त धनराशि ग्राम विकास समिति द्वारा एक पृथक बैंक खाते में जमा करायी जा सकती है। लेखा पुस्तिकाओं के संधारण के लिये परियोजना सहायता दल इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। ग्राम विकास समिति द्वारा हिसाब के लिये निम्न पुस्तकों का संधारण किया जायेगाः–

    - कैश/बैंक बुक जिसमें प्राप्त धनराशि तथा किये गये भुगतान का विवरण होगा।
    - ग्राम कोष पंजी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा ग्राम कोष में किये गये योगदान का हिसाब होगा। इस पंजी में बताया जायेगा कि ग्राम कोष में किसने कितना योगदान किया।
    - ग्राम विकास समिति विभिन्न भुगतानों के बिल/सहायक दस्तावेज का सरल क्रमांकवार संधारण करेगी। ये बिल/सहायक दस्तावेज भुगतान किये जाने पर वाउचर का कार्य करेंगे।

31. ग्राम विकास समिति एक विवरण जिला परियोजना सहायता इकाई को जानकारी के लिये प्रस्तुत करेगी जिसमें ग्राम कोष में होने वाले संग्रह को बताया जायेगा। परियोजना सहायता दल इस कार्य में उनकी सहायता करेगा।

32. संस्था द्वारा प्रदत्त परियोजना सहायता दल हेतु जो परिलब्धियां निर्धारित की गई हैं उनमें परियोजना सहायता दल समन्वयक को कम से कम रुपये 5000 एवं अधिकतम रुपये 9500 दिया जाना निर्धारित है। इसी प्रकार परियोजना सहायता दल सदस्य को कम से कम रुपये 4000 व अधिकतम रुपये 7750 प्रतिमाह की सीमा निर्धारित की गई है।

तालिका–2

परियोजना सहायता दलों हेतु संस्था को देय न्यूनतम/अधिकतम राशि की मासिक दर

	बजट मद	**न्यूनतम**	**अधिकतम**
1	**सकल परिलब्धियां**		
	परियोजना सहायता दल समन्वयक	5000	9500
	परियोजना सहायता दल सदस्य	4000	7750
2	**कार्यालयीन व्यय**	3000	
	कार्यालय किराया		
	दूरभाष एवं विद्युत		
	स्टेशनरी व डाक व्यय		
	रिपोर्ट एवं अभिलेखीकरण		
	अन्य		
3	**कुल आवर्ती व्यय**	**(1 + 2)**	
4	**संस्थागत व्यय – उपरोक्त 3 का 10%**		
5	**अनावर्ती पूंजीगत व्यय**		
	फर्नीचर व उपकरण	5000	
	सुरक्षा निधि – दूरभाष एवं विद्युत	1000	
	कुल अनावर्ती व्यय	**6000**	

33. यदि किसी संस्था को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पदस्थ किये समन्वयक/ सदस्य को उसकी योग्यता, अनुभव एवं कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए उक्त अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान किया जाना है तो ऐसे प्रकरणों पर परियोजना की राज्य इकाई द्वारा पृथक से विचार किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें संबंधित व्यक्ति के विगत वर्ष के आयकर रिटर्न, नियोक्ता द्वारा प्रदत्त फार्म–16, वेतन प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा परियोजना की राज्य इकाई में प्रस्तुत करना होगा।

34. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की प्रस्तावित दरें नीचे दी गई **तालिका–3** के अनुसार रहेंगी।

तालिका–3

संकुल से बाहर यात्रा हेतु पात्रता

पद	दैनिक भत्ते/लॉजिंग की दर			यात्रा हेतु पात्रता
	राज्य के भीतर	राज्य के भीतर इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल शहर में	राज्य से बाहर	
समन्वयक	120/300	150/500	180/750	वतानुकूलित तृतीय श्रेणी
सदस्य	60/200	75/300	90/500	द्वितीय श्रेणी स्लीपर